प्रेस प्रकाशनी **PRESS RELEASE**

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

23 नवंबर 2026

आरबीआई ने 'इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन (ईबीटी) के लिए निवारक सुरक्षा उपाय' संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2026 को 'धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सुरक्षा' पर संशोधन निदेश जारी किए थे। इन निदेशों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन (ईबीटी) के मामलों में ग्राहकों की देयताओं को सीमित करने वाले मौजूदा ढांचे को और मजबूत किया। हालाँकि संशोधित ढांचा मुख्य रूप से धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन (ईबीटी) के मामले में ग्राहक की देयताओं से संबंधित है, फिर भी डिजिटल भुगतान चैनलों के उपयोग के तरीके और सीमा पर ग्राहकों को अधिक नियंत्रण देकर इसे निवारक दृष्टिकोण से मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

साथ ही, बैंकों के कामकाज की पद्धति में एकरूपता सुनिश्चित करने और ग्राहकों को बैंकों की चूक या गलतियों से बचाने के उद्देश्य से, उपर्युक्त संशोधन निदेशों में उल्लिखित 'बैंक की लापरवाही' की परिभाषा का दायरा विस्तृत करने का निर्णय लिया गया है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जन सामान्य से प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिनमें विनियमन विभाग, आरबीआई द्वारा जारी दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण संबंधी निदेशों में संशोधन का प्रस्ताव है:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

3. विनियमित संस्थाओं, जन सामान्य और अन्य हितधारकों द्वारा संशोधन निदेशों के मसौदे पर अपनी टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया 14 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले निम्नलिखित माध्यमों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

i. वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के माध्यम से, या उस पृष्ठ पर प्रत्येक, जहाँ वे होस्ट किए गए हैं, दस्तावेज़ के साथ दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करके; या

ii. ईमेल द्वारा, जिसका विषय होगा: '(विनियमित इकाई के प्रकार सहित संशोधन निदेशों के मसौदे का पूरा नाम) पर प्रतिक्रिया'।

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1548 मुख्य महाप्रबंधक